उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-4

संख्या-2807/नौ-4-14-40डब्लू/2014

लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा स्वयं की बीमारी के दृष्टिगत लखनऊ में तैनात किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च में एक रिट याचिका संख्या-721(एस/बी)/2014 ओम प्रकाश त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08-05-2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है-

Accordingly, we direct the State Government to consider the claim of the petitioner, looking to his ailment for being posted at Lucknow in annual hain of transfer, The petitioner is also agreeble that he may be kept under attachement.

List this matter in the second week of july, 2014.

Learned Standing Counsel may file counter affidavit in the meantime.

2- मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन एवं श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी के प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण सेवा के श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, अलीगढ़ को निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए नगर निगम, लखनऊ में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर तैनात किया जाता है ।

3- श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे । संबंधित प्राधिकारी द्वारा श्री त्रिपाठी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। आदेशों की अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, जिसके लिए संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

<u>संख्या-2807(1)/नौ-4-14-40डब्लू/14 तद्दिनांक</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1- निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2; नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़/लखनऊ।

3- संबधित अभियन्ता ।

4- गार्ड फाइल । आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in